कमिश्नर वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश

उपस्थिति :- श्री सुनील कुमार ,कमिश्नर ,वाणिज्य कर,उ0प्र0
प्रार्थी :- सर्वश्री मेडिका पृथ्वीगंज कॉठ जिला मुरादाबाद ।
प्रार्थना पत्र सं0 :- 24 / 2008
प्रार्थी की ओर से :- श्री शिशिर गुप्ता ,अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- सर्वश्री मेडिका पृथ्वीगंज कॉठ जिला मुरादाबाद के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक रहित प्रार्थना पत्र दिनांक 28-1-08 को प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु प्रस्तुत किये गये है:-

'' काटन बैडेंज पर '' कर की दर क्या होगी ?''

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर मुख्यालय के पत्र संख्या- 679 दिनांक 29-1-08 से एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन से आख्या मॉगी गई , जो सुनवाई के समय तक प्राप्त नहीं हुई है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि 20-2-08 पर श्री शिशिर गुप्ता, फर्म अधिवक्ता उपस्थित हुये ।उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया और कहा कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की विज्ञप्ति संख्या -3121 दिनांक 24-12-07 की अनुसूची -। के अन्तर्गत भी हैण्डलूम उत्पाद को क्रम संख्या-21 पर करमुक्त किया गया है। हथकरघे पर बना वस्त्र एवं पार्टस आदि को भी क्रम संख्या-11 पर करमुक्त किया गया है। हथकरघे पर
यू0पी0 वैट अध्यादेश 2007 की विज्ञप्ति की अनुसूची- ।। के भाग क की क्रम संख्या-41 पर ड्रग्स एवं मैडिसिन जिसमें टीका,सूईयॉ एवं ड्रेसिग,औषधि लेख, आई0पी0 स्तर का हल्का तरल पैराफिन सम्मिलित है ,को 4 प्रतिशत के कर दायरे में रखा गया है। वैन्डेज हैण्डलूम के अन्तर्गत आती है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मेरठ वस्त्र उद्योग निदेशालय उ0प्र0 सरकार द्वारा मैसर्स पियर्स सन्स कैमीकल के पंजीकरण में वस्तु के अन्तर्गत वैन्डेज क्लॉथ रोल्ड वैन्डेज ,अब्जविन्ट गॉज क्लाथ , कॉटन क्रेप वेन्डेज इत्यादि को हथकरघा उत्पाद माना है । गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया ,मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल ,आफिस ऑफ डवलपमेन्ट कमिश्नर फॉर हैण्डलूम विभाग द्वारा भी कॉटन हैण्डलूम की श्रेणी में क्रम संख्या 12 पर क्लॉथ फार प्लास्टर ऑफ पैरिस वैन्डेज एण्ड कट वैन्डेज को हैण्डलूम के अन्तर्गत माना है । इसके साथ ही क्रम संख्या 2 पर वैन्डेज क्लॉथ हैण्डलूम की श्रेणी में माना गया है। यू0पी0 ट्रेड टैक्स एक्ट 1948 के नोटिफिकेशन नम्बर TTF-2-595-X1-(4)99- U.P. Act 15/48 आर्डर -99 दिनांक 6-4-99 में टैक्सटाइल के अन्तर्गत वैन्डेज को शामिल किया है तथा करमुक्त वस्तु के रुप में नोटिफाइड किया गया है।

4- मैनें विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया ।सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि फर्म द्वारा हैण्डलूम पर तैयार किये गये कपड़े को बिना स्ट्रैलाइज्ड किये हुये बिक्री की जाती है विज्ञप्ति संख्या - केएनआई-2-3121/X1-9(197)-07-यू0पी0 अध्या0-37-2007-आर्डर-(14) दिनांक 24-12-2007 में विज्ञापित अनुसूची -1 के क्रमांक -21 पर अंकित प्रविष्टि

> Handloom cloth of all kinds; handloom durries; handloom shawls & lois whether plain, printed, dyed or embroidered.

के अन्तर्गत सभी प्रकार के हैण्डलूम क्लाथ करमुक्त है तथा अनुसूची-2 के भाग क के क्रमांक-41 पर अंकित प्रविष्टि

> Drugs & Medicines including vaccines, syringes & dressings, medicated ointments, light liquid paraffin of IP grade.

में ''ड्रेसिग ''पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है । उक्त से स्पष्ट है कि हैण्डलूम से बने हुये कपड़े ,जो स्ट्रैलाइजड नहीं है ,पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की अनुसूची -1 के क्रमांक -21 के अन्तर्गत '' Handloom cloth of oll kinds ;''की श्रेणी में आयेगे और यह करमुक्त होगे ।परन्तु इसके स्ट्रैलाइजड होने की दशा में इसका उपयोग ''ड्रेसिग '' के रुप में होने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की अनुसूची -2 के भाग -क के क्रमांक -21 के अन्तर्गत इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी ।

क्रमशः पृष्ठ-2

पर /

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है

7- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 20, फरवरी ,2008

ह0 20-2-08

(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com